भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 989
सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक)

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का सशक्तिकरण

989. श्री अरबिंद गणपत सावंत:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों को सशक्त बनाने और उन्हें कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद प्रदान करने की रणनीति पर कार्य कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) इससे लाभान्वित होने वाले ई-श्रम-पंजीकृत श्रमिकों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के लाभ हेतु ई-श्रम पोर्टल पर डेटाबेस तैयार और संकलित किया गया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो डेटा को ई-श्रम पोर्टल पर कब तक डाला जाएगा?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) केंद्र सरकार, अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं में (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) (ii) प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेवाईएम) (iii) प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम- एसवाईएम) (iv) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वन-नेशन-वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (v) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (vi) गरीब कल्याण रोजगार अभियान (vii) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (viii) दीन दयाल अंत्योदय योजना (ix) प्रधानमंत्री आवास योजना (x) पीएमएसवीए निधि (xi) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (xii) श्रम कल्याण योजना और बीड़ी/सिने और गैर-कोयला खदान श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (xiii) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

जारी..2/-

(xiv) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (xv) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) शामिल हैं।

(ग) से (ङ) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का सत्यापित करने तथा आधार से जोड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके उन्हें पंजीकृत करना और सहायता प्रदान करना है। दिनांक 23 जुलाई 2024 तक की स्थिति के अनुसार लगभग 29.83 करोड़ असंगठित कामगार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। ई-श्रम पोर्टल को eshram.gov.in के माध्यम से देखा जा सकता है।

****